रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2541] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 2014/अग्रहायण 12, 1936
No. 2541] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3172(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार द्वारा गठित आयोग 'कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' को उक्त आयोग को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) कर्नाटक सरकार से अनुदानों और ऋणों के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) सांविधिक शुल्क;

(ग) निवेश से अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी कि कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन:

(क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;

(ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है; और

(ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है।

[अधिसूचना संख्या 78/2014 फा.सं. 196/22/2014-आकनि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक